



उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्

Indian Council of Forestry Research & Education

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)

(An autonomous Council under the Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)

डाकघर : आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर - 482 021

P.O. - R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur - 482 021.

फाईल संख्या- 597-2-1/medical-4/TFRI2 दिनांक 18 / 06 / 2015

प्रति,

श्री हरिओम सक्सेना, वैज्ञानिक सी०
श्री आर० के० मालवीय, अनुसंधान सहायक-ग्रेड-1
श्री नेहरूलाल पटले, अवर श्रेणी लिपिक
उ०व०अ०सं०, जबलपुर

विषय :- चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल संबंधी Inspection Committee के सदस्यों द्वारा बिल सत्यापन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने विषयक ।

संदर्भ :- कार्यालय पत्र क्रमांक 2-1/Medical-4/TFRI/529
दिनांक 11/06/2015

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा समिति के सदस्यों से मेडिकल बिलों के सत्यापन का लेखा जोखा एवं रजिस्टर जिस पर आपकी इस संबंध में टीप अंकित हो को प्रस्तुत करने के लिए लेख किया गया था । इस संबंध में प्राप्त प्रतियुत्तर से प्रतीत होता है कि आपके द्वारा इस संबंध में कोई रजिस्टर इत्यादि का संधारण नहीं किया गया है ।


इस संबंध में सूचित किया जाता है कि Minutes of the meeting on 26/07/2011 में वर्णित बिन्दु क्रमांक 3 पर Inspection Committee हेतु लेख किया गया है कि They will note down their comments on a register and the bill so verified as a token of inspection. They should ensure that medical bill verified by them is absolutely genuine.

//2//

इसी प्रकार बिन्दु क्रमांक 4 पर लेख है कि The above committee may be given the responsibility to dispose off the empty wrappers etc. as per laid down procedure so that the same can not be reused. (Copy enclosed)

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के निर्देशानुसार, बिल एवं रजिस्टर पर समिति के सदस्यों द्वारा सत्यापित एवं विनष्टीकृत किये गये **empty wrappers etc.** की प्रविष्टी किया जावे एवं रजिस्टर पर विवरण अंकित किया जावे । साथ ही सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल का सत्यापन दिनांक सहित **Committee** के तौर पर करना सुनिश्चित करें ना कि व्यक्तिगत रूप से। भविष्य में कोई भी बिल जो व्यक्तिगत रूप से या बिना किसी दिनांक के सत्यापित कर प्रस्तुत किये जायेंगे, स्वीकार नहीं किये जाएँगे ।

भवदीय



आहरण एवं संवितरण अधिकारी
उ0व0अ0सं0
जबलपुर

प्रतिलिपि :- संस्थान के सभी अधिकारियों/वैज्ञानिकों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु ।

Handwritten note:
कोई भी बिल जो व्यक्तिगत रूप से या बिना किसी दिनांक के सत्यापित कर प्रस्तुत किये जायेंगे, स्वीकार नहीं किये जाएँगे ।